

कार्यालय—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail : nodalofficerddn@gmail.com

Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक— ११५ / FP/UK/ROAD/10762/2015 : देहरादून: दिनांक: ०१ अक्टूबर, 2020

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-मध्य क्षेत्र),
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय:— जनपद—चमोली ग्राम सड़क योजना फेज—14 के अन्तर्गत बुगीधार मेहलचौरी बछुवावाण मोटर मार्ग के किमी 0 25 से स्थूणी तल्ली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.73 है० ग्राम्य विकास को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ:— भारत सरकार पर्यावरण एवं परिवर्तन मंत्रालय (क्षे०का०) देहरादून का पत्रांक 8बी/यू०सी०पी०/०6/40/2016 एफ०सी०1739/दिनांक 22-01-2018।

महोदय,

कृपया भारत सरकार के उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण पर कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त के अनुपालन में उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर के पत्रांक 4831/12-1 दिनांक 18-06-2018 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जिसे निम्न प्रकार संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है :-

1. शर्त संख्या-1 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु देय धनराशि रू० 13,83,193.00 मात्र ऑनलाईन चालान के माध्यम से तदर्थ कैम्पा कोष में जमा कराया जा चुका है। जिलाधिकारी चमोली द्वारा निर्गत अमल दरामद का प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है। (संलग्नक-1)
2. शर्त संख्या-2 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन०पी०वी० की देय धनराशि रू० 17,93,610.00 मात्र ऑनलाईन चालान के माध्यम से तदर्थ कैम्पा कोष में जमा कराया जा चुका है।
3. शर्त संख्या-3 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित एन०पी०वी० की बचनबद्धता का प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। (संलग्नक-2)
4. शर्त संख्या-4 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपरोक्तानुसार कुल जमा की गयी धनराशि रू० 31,76,803.00 मात्र के ऑनलाईन Paid रसीद की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक-3)
5. शर्त संख्या-5 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित Strip Plantation के वचनबद्धता का प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। (संलग्नक-4)
6. शर्त संख्या-6 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा FRA के अभिलेख ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है। (संलग्नक-5)

अतः अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोपरि

भवदीय,

(डी०जे०के० शर्मा) 11/10/20

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या— ११५ / FP/UK/ROAD/10762/2015 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।
2. अधिशासी अभियन्ता, पीएमजीएसवाई खण्ड, लो०नि०वि०, कर्णप्रयाग।

(डी०जे०के० शर्मा) 11/10/20

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

o/c

6